रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 418] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 1973/अग्रहायण 16, 1895
No. 418] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 1973/AGRAHAYANA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th December 1973

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing (Directorate of Estates) No. S.O. 1051, dated the 7th April, 1972 the Central Government hereby appoints the Regional Director, Bombay Region, Civil Aviation Department, being a gazetted officer of the Government of India, to be an estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on an estate officer by or under the said Act in respect of the following public premises belonging to the International Airports Authority of India, namely:—

The Public premises forming parts of the terminal building at Bombay Airport (Santa Cruz) in which Shri Pratap Singh, in the name of Paul Brothers, is running a restaurant, snack bars and retiring rooms.

[No. AV-24017/6/73-AA(i).]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1973

का० आ० 750(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्रालय (सम्पदा निदेशालय) की अधिसूचना सं० का० आ० 1051, दिनांक 7 अप्रैल, 1972 में भागत: परिवर्तन करते हुए, नागर विमानन विभाग के मुम्बई क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेश को, भारत सरकार के राजपत्रित अधिकरी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जो कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी के निम्नलिखित सरकारी स्थानों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उस पर अधिरोपित होने वाले कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

वे सरकारी स्थान जो कि मुम्बई विमानपत्तन (सान्ताक्रुज) के मार्गान्त भवन के भाग हैं जिसमें श्री प्रताप सिंह, पाल ब्रदर्स के नाम से एक रेस्तरां, स्नैक बार तथा विश्राम कक्ष चला रहा है ।

[सं० ए वी 24017/6/73-ए ए(i)]

S.O. 751(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Rules, 1971 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. —— dated 7th December, 1973 the Central Government hereby directs that the proceedings pending before the Director, Bombay Airport, (Santa Cruz), International Airports Authority of India, (exercising the powers of an Estate Officer in relation to the premises referred to in the said notification) against Shri Pratap Singh who, in the name of Paul Brothers, is running a restaurant, snack bars and retiring rooms in the said premises, shall be transferred to the Regional Director, Bombay Region, Civil Aviation Department.

[No. AV-24017/6/73-AA(ii)]

N. KHOSLA, Jt. Secy.

का० आ० 751(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ०...... दिनांक 7 दिसम्बर, 1973 के साथ पठित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियम, 1971, के नियम 6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि श्री प्रताप सिंह, जो कि उक्त स्थान

में, पाल श्रदर्स के नाम से, एक रेस्टोरेंट, स्नैक बार श्रौर विश्राम कक्ष चला रहा है, के विरुद्ध निदेशक, मुम्बई विमानपत्तन (सान्ताक्रुज) भारत का श्रन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी, (जोकि उक्त अधिसूचना में निर्देशित स्थान के सम्बन्ध में सम्पदा श्रधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं) के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों को क्षेत्रीय निदेशक, मुम्बई क्षेत्र, नागर विमानन विभाग को श्रन्तरित कर दिया जाएगा।

[सं० ए वी–24017/6/73-ए ए (ii)]

नवजीवन खोसला, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973